संख्या- 179 /2021/ 2001 /चार-2021

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 11 नवम्बर, 2021**

विषय:- अयोध्या में दीपोत्सव-2021 के आयोजन हेतु प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या के पत्र संख्या-347/ दीपोत्सव/ 2021-22 दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अयोध्या में दीपोत्सव-2021 के आयोजन हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर रू0 1,19,93,550.00 (रूपये एक करोड़ उन्नीस लाख तिरानवे हजार पांच सौ पचास मात्र) की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा। इस हेतु श्री अमित कुमार अग्निहोत्री, सहायक निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। श्री अग्निहोत्री द्वारा कार्यों के भौतिक सत्यापन के पश्चात् संस्तुति उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) संस्कृति निदेशालय द्वारा धनराशि आहरित कर निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या को उपलब्ध करायी जायेगी जिनके द्वारा समस्त भुगातन आदि की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर समस्त कार्यों के फोटोग्राफ, वीडियो आदि का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्कृति निदेशालय व शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(4) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-42-अन्य व्यय मद से किया जायेगा।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या 179 /2021/ 2001 (1)/चार-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर शासन को एक सप्ताह में अवगत कराने का कष्ट करें।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।